

०४/१२/२०२० रमेश कुमार सुधांशु  
धन सिंह कुटियाल सचिव,  
वरिष्ठ राजकार्यालय आफिस उत्तराखण्ड शासन।  
सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
देहरादून।

SAC निर्माण

०५/१२/२०२०

लोक निर्माण अनुभाग-२

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र-पुरोला के विकासखण्ड पुरोला के सुनाली निचला धिवरा मोटर मार्ग के किमी ०१ में सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण का कार्य (विस्तृत आगणन) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन, जिसकी कुल लम्बाई 1.00 किमी ०१ एवं लागत ₹ 73.85 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 73.85 लाख (₹ ० लाख ८३ हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु ₹ ०.१० लाख (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i) विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।

(iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(iv) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitale आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(v) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

(vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(viii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

MD 111(2)/20-23(प्रा.आ.)/2018 टी0सी0  
०२-१२-२०

संख्या- २/४४/ 111(2)/20-23(प्रा.आ.)/2018 टी0सी0

२५/६  
C.६(१) क्रमांक ४८०  
०१/१२/२०२०

१३१७  
SSO-II (P)  
३-१२-२०२०

मुख्य अभियन्ता (नियोजन),  
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

देहरादून : दिनांक २२ नवम्बर, 2020

(ix) विषयगत कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(x) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2021 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं:—2047 / XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xiii) विषयगत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 0.10 लाख का बजट आबंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं-183 / XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं-22, के अन्तर्गत अलॉटमेन्ट आई0डी0 संख्या ३-४०१०५२००३१ दिनांक २७-११-२० नवम्बर, 2020 के द्वारा आपको आबंटित कोड सं-4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कों-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-576 / XXVII(2)/2020 दिनांक 11 नवम्बर 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

*भवदीय*  
(रमेश कुमार सुधांशु)  
सचिव

संख्या— / 111(2) / 20-23(प्रा.आ.) / 2018 टी०सी० तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
5. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, 6व० वृत्त, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से  
(दिनेश कुमार पुनेठा)  
अनु सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021 )  
**Secretary-Secretary, PWD(S038)**  
 HOD-Chief Engineer PWD(4227)

 आवंटन पत्र संख्या -2144/iii(2)/20-23(PE)/18TC  
 अनुदान संख्या-022

 आवंटन आई डी-S20110220037  
 आवंटन पत्र दिनांक-27-NOV-2020

लेखा शीर्षक

 5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत  
 परिव्यय

04-District and other Roads

 337-सड़क निर्माण कार्य  
 02-नया निर्माण कार्य (5054-04-  
 800-03-02से स्थानान्तरित )

03-राज्य सेक्टर

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2	
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी				वर्तमान में जारी				अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण				1990000				10000				0	2000000
योग				1990000				10000				0	2000000

**Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.10,000 (Rupees Ten Thousand Only)**

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

- अवधि: 1056 /20प्राप्तिका/2020 रुपये 10,000/-  
 आवश्यक कार्यालय को विभिन्न रूप से  
 1. श्री. चूहा अधिकारी लोनिवि.प्रौदी  
 2. अध्यक्ष अधिकारी 6वें इलाय, उत्तराखण्ड  
 3. कार्याधारी एवं लोनिवि.उत्तराखण्ड  
 4. कार्याधारी एवं 9.T सैला कार्यालय प्रभुत्व अधिकारी एवं विभागाधारी  
 5. कानिठ अधिकारी प्राप्तिका का कार्यालय प्रभुत्व अधिकारी एवं विभागाधारी

  
 01/12/20  
 (अधिकारी अधिकारी)  
 अधिकारी अधिकारी